FORM NO. III (प्रारूप सख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

जगदीश आदि बनाम सहायक अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. नीमकाथाना

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 90 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-12-22	रिपोर्ट सरिश्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि गई। अपील मे एडमिन स्टेज पर बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.12.22 को पेश हो। (अखिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
	23.12.2022 रिपोर्ट सरिस्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण होना बताया है। उक्त भूमि नगरपालिका क्षैत्र में स्थित है। अपीलान्ट की पूर्वजो के समय से भौतिक रूप से कब्जा शुदा एवं खातेदारी भूमि है। नगरपालिका द्वारा विधिवत रूप से जारी पट्टा भूमि है। उक्त प्रकरण में नगरपालिका को भी पार्टी नहीं बनाया। जो एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। इस कारण चूनोती ग्रस्त निर्णय दिनांक 18.10.2019 स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपास्त किया जावे। शिकायत कर्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 द्वारा कि गई है। इस प्रकार स्वयं शिकायत कर्ता ही जांच अधिकारी नहीं हो सकता। अपीलान्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिक जगह छोडी हुयी है अपीलान्ट को जबरन बेदखल करने की गर्ज से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मिथ्या रिपोर्ट कराई। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं [illegible] चुनौति ग्रस्त आदेश दिनांक 18.10.2019 को अपास्त किया जा[illegible] भूमि खसरा नम्बर 1470 कुल रकबा 0.13 है0 किस्म [illegible] 540 वर्ग मीटर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा [illegible] अतिक्रमण बताया जो गलत है। अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश किया जिसके साथ नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा जारी पट्टा दिनांक 03.02.1985 को जारी पट्टा, पट्टा पंजियन की फोटो प्रति भी पेश की थी परन्तु इनका अवलोकन नहीं किया गया। भूमि का नाप–चोक करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सक्षम नहीं है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान	

(अखिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:04:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व कर्मचारियों के द्वारा करवाया जाना उचित है। मोदी क्वाटर के सामने 100 मीटर लम्बाई में सड़क सीमा मध्य से 40–40 फुट दोनो तरफ से सड़क मध्य से 20 फुट दूरी पर 100 मीटर लम्बाई में दुकाने चबुतरा रेस्पोडेन्ट बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसको भी हटवाया जावे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जांकर न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के मु.नं. 91/2019 उनवानी सरकार बनाम जगदीश आदि निर्णय दिनांक 18.10.2019 को अपास्त करवाया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के मियाद बाबत धारा 05 का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर सुना गया एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र धारा 05 का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलान्ट की मूल अपील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2019 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1470 कुल रकबा 0.13 है0 किस्म गै.मु. सड़क में से 540 वर्ग मीटर राजकीय भूमि पर पक्की दूकान चबूतरा बनाकर अनाधिकृत कब्जा करना बताया गया है। जो धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की वो सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। सहायक अभियन्ता द्वारा पेश रिपोर्ट की जांच निर्णय खारिज करने से पूर्व राजस्व कार्मिक से जरूर करवाई जानी चाहिये थी। नगरपालिका द्वारा जारी पट्टे का भी गहन अवलोकन किया जाना चाहिये था। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नीमकाथाना द्वारा जो अतिक्रमण कि रिपोर्ट पेश कि गई जो अपीलान्ट के हक में नगर पालिका नीमकाथाना द्वारा जारी पट्टो का अवलोकन किए वगैर की गई है। इससे यह तो स्पष्ट है कि सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नीमकाथाना द्वारा जो अतिक्रमण कि रिपोर्ट पेश कि है उस वक्त ना तो सही चारो दिशाओ का नाप–चोक किया गया है एव ना ही नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा जारी पट्टो का अवलोकन किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधारा पर अपीलान्ट की अपील तथ्यो के आधार पर अपील एडमिन स्टेज पर ही स्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मु.नं. 91/2019 निर्णय दिनांक 18.10.2019 अपास्त किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि मौके पर प्रश्नगत प्रकरण में सभी दिशाओं व रोड़ के दोनों तरफ के निर्माण जो है उसका सीमाज्ञान व नाप–चोक पक्षकारान की उपस्थिति में किया जावे एवं नगर पालिका द्वारा जारी पट्टो का व अन्य दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जाकर उसके पश्चात भी अतिक्रमण प्रार्थी के द्वारा होना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर के साथ एक निर्णय कि प्रति भेजी जावें।

उक्त आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ar
Date: 2023.10.18 11
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)